भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †3865
उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2026
25 फाल्गुन, 1947 (शक)

चंदौली में प्रतिभा संवर्धन योजना

†3865. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय / वन क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना है;

(ख) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के जनजातीय क्षेत्रों में तीरंदाजी, फुटबाल, कबड्डी आदि के लिए खेल मैदानों/स्टेडियमों के निर्माण की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, युवाओं की प्रतिभा को पोषित करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, खेल मैदानों/स्टेडियमों का निर्माण तथा निधियों के आवंटन सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केन्द्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सबसे पिछड़े और आदिवासी/वन्य क्षेत्र सहित देशभर में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है:

i. खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के पदक विजेताओं और उनके कोच को नकद प्रोत्साहन;
iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
vi. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग-आधारित स्कीमें हैं जिनके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता देने हेतु विचार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर में, खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण इस मंत्रालय के डैशबोर्ड https:// mdsd. Kheloindia .gov.in. और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.htmlपर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

वर्तमान वर्ष में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विभिन्न खेल विकास स्कीमों के अंतर्गत ₹ 2347.14 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
